न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2018/00235

दायरा दिनांक : 11.07.2018

उनवान

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका छबड़ा, जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र हजारीलाल, जाति कुशवाह, निवासी छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां
2. बद्रीलाल पुत्र हजारीलाल, जाति कुशवाह, निवासी छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील छबडा, जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 18.11.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 59/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम टोड़ी, तहसील छबड़ा की आराजी खसरा नं. 333 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नं. 336 रकबा 3 बीघा, खसरा नं. 335 रकबा 2 बीघा कुल 3 किता रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2017 से वादीगण का वाद स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2017 खिलाफ कानून व न्याय के स्वीकृत सिद्धांतों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 द्वारा उक्त वाद पेश कर निवेदन किया था कि वाके टोडी, तहसील छबडा में स्थित आराजी खसरा नं. 333 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नं. 336 रकबा 3 बीघा, खसरा नं. 335 रकबा 2 बीघा कुल 3 किता रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा पर खातेदारी प्रदान करने का निवेदन किया था, जबकि उक्त आराजी सरकार की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिसको रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 को अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने का कोई हक व अधिकार नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय उक्त आराजी को रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज करने का उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है, जो काबिल निरस्तनीय है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाबदेही का समुचित अवसर नहीं दिया है, ना ही कोई तनकीयात बनायी है और ना ही अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध एवं न्याय के स्वीकृत सिद्धांतों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजी आबादी क्षेत्र में आ चुकी है तथा वर्तमान में अपीलांट की खातेदारी में दर्ज है तथा अपीलांट का ही विवादित आराजी पर कब्जा है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर न करके उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2017 निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 06.11.2017 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नगर पालिका छबडा के खिलाफ दिनांक 12.02.2016 को वादी ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि नगर पालिका छबडा पक्षकार है जिसे वाद में पक्षकार बनाया जाये। पक्षकार बनाने से पूर्व नोटिस देना आवश्यक होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी नहीं किया गया। अतः अपील स्वीकार कर हमें सुनवायी का अवसर दिया जाये। हम वादग्रस्त आराजी के खातेदार है इसलिए पक्षकार बनाया है। अतः अपील स्वीकार की जाये।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील का गहनता से अवलोकन किया। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 द्वारा दावा संख्या 59/2015 दिनांक 13.07.2015 से अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट दायर किया गया। यह दावा परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2017 से वादी के पक्ष में निर्णित किया गया। परीक्षण न्यायालय के इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध एक अपील, अपील संख्या 139/2018 दायर दिनांक 27.08.2019 से न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष दायर होकर निर्णय दिनांक

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

25.10.2018 से पूर्व में ही अंतिम रूप से निर्णित हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट वैधानिक प्रावधानों के तहत मेंटेनेबल नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/11/2024

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा